clarified that as a matter of policy Government of India have been converting their outstanding loans to sick CPSUs into equity and writing-off only the interest;

(b) if so, whether loan to BPMEL was converted into equity while formulating rehabilitation package by operating agency;

(c) if not, the reasons therefor; and

(d) whether networth of the company would become positive as per estimates of the consultant if loans of BPMEL is converted into equity?

THE MINISTER OF INDUSTRY (SHRI MURASOLI MARAN): (a) Yes, Sir. The representative of Govt., however, submitted before BIFR that for making any financial commitments and sacrifices on behalf of the Govt. for funding rehabilitation scheme, the prior approval of the competent authority would be required.

(b) and (c) No, Sir. The consultant has recommended for conversion of Govt. loan into 'zero' interest bonds.

(d) Yes, Sir. If the existing Govt. loan to BPMEL is converted into equity and Govt. interest is waived off, the net worth of BPMEL will be positive. But the consultant who have recommended conversion of Govt. loan into zero interest bonds have estimated that the networth of the company would not become positive even in a time horizon of ten years.

द्विपक्षीय व्यापार में वृद्धि

3419. **श्री चिमनभाई हरिभाई शुक्ल:** क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत 6 माह के दौरान किन-किन देशों ने भारत के साथ द्विपक्षीय व्यापार बढ़ाने के प्रति अपनी दिलचस्पी दिखाई है;

(ख) क्या उक्त अवधि के दौरान भारत द्वारा इन देशों के साथ कोई समझौता भी किया गया है;

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में चयन किए गए क्षेत्रों का देश-वार ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस संबंध में अब तक कितनी प्रगति हुई है?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बोला बुल्ली रमैया): (क) से (घ) पिछले छः महीनों के दौरान किसी भी देश के साथ किसी भी करार पर हस्ताक्षर नहीं किए गए हैं। द्विपक्षीय व्यापार का संवर्धन करना एक सतत प्रक्रिया है और यह देखा गया है कि अधिकांश देश भारत के साथ व्यापार बढ़ाने के इच्छुक हैं।

मछली, सूखी मछली और मछली से बनी मदों का निर्यात

3420. **श्री कनकसिंह मोहनसिंह मंगरोला:** क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने गत तीन वर्षों के दौरान मछली, सूखी मछली और मछली से बनी मदों का निर्यात किया है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में मद-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा दक्षिणी गुजरात और सौराष्ट्र में मछलियों के लिए भण्डारणकक्ष और सूखी मछली हेतु फैक्टरियां स्थापित करने के लिए क्या-क्या प्रयास किए गए हैं?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बोला बुल्ली रमैया): (क) और (ख) जी, हां। पिछले तीन वर्षों के दौरान मछली, सूखी मछली तथा मछली चूर्ण के किए गए निर्यात की कुल मात्रा तथा अर्जित विदेशी मुद्रा का विवरण इस प्रकार है:—

मा: मात्रा मी० टन में
मू: मूल्य करोड़ रु० में

मद		1993-94	1994-95	1995-96
मछली	मात्रा:	94022	122529	100093
	मूल्य:	296.00	446.57	372.26
सूखी मछली	मात्रा:	2624	6086	7340
	मूल्य:	16.72	24.16	44.08
मछली चूर्ण	मात्रा:	—	—	76
	मूल्य:	—	—	0.21

(स्रोत: एम्पीडा)

(ग) 100 करोड़ रुपये से अधिक की लागत वाली परियोजनाओं, उनके आरंभ होने की तारीख तथा लागत आदि का ब्यौरा लोक उद्यम सर्वेक्षण 1994-95 (अंग्रेजी संस्करण) के खण्ड-1 के पृष्ठ 46 से 56 में दिया गया है।

Welfare of Labourers in Agriculture and Building Construction

3422. SHRI LACHHMAN SINGH: Will the Minister of LABOUR be pleased to state:

(a) State-wise number of labourers working in agriculture and building construction;

(b) schemes formulated for the welfare of these labourers during the year; and

(c) the amount allocated to each State for this purpose?

THE MINISTER OF LABOUR (SHRI M. ARUNACHALAM): (a) A statement is annexed at Statement-I (*See* below).

(b) The Government are implementing a number of poverty alleviation and employment generation schemes like IRDP, JRY EAS, IAY, TRYSEM, DWCRA etc., which are designed especially to benefit rural poor including landless agricultural labourers. The Government have enacted the Building and Other Construction Workers (Regulation of Employment and Conditions of Service) Act, 1996 and the Building and Other Construction Workers' Welfare Cess Act, 1996 for the benefit of construction workers which, inter-alia, provide for setting up a welfare Fund at State level to formulate various welfare and social security schemes for this category of workers.

(c) A statement giving allocation for 95-96 under IRDP, JRY, EAS etc. is annexed at Statement-II (*See* below) An allocation of Rs. 3 crore has been proposed during the remaining part of 1996-97 for carrying out the purposes of the new legislation for building workers.

(ग) सरकार समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एम्पीडा) के जरिए समुद्री उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए कई योजनाओं को कार्यान्वित कर रही हैं जो सभी राज्यों में लागू है जिनमें गुजरात तथा इसका सौराष्ट्र और दक्षिणी गुजरात क्षेत्र शामिल है। फिर भी, सरकार के पास मछली भण्डारण तथा मछली आहार कारखानों की स्थापना के लिए योजना को कार्यान्वित नहीं कर रही है, यद्यपि, एम्पीडा के माध्यम से एक त्रुटिपूर्ण कोल्ड स्टोरेज के उन्नयन में सहायता देने की एक योजना कार्यान्वित की जा रही है।

मध्य प्रदेश के सरकारी क्षेत्र के उद्यमों में किए गए निवेश की राशि

3421. **श्री अजीत जोगी:** क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) जून, 1996 तक मध्य प्रदेश के प्रत्येक सरकारी क्षेत्र के उद्यम में कितनी धनराशि का निवेश किया गया है;

(ख) प्रत्येक उद्यम के वार्षिक उत्पादन, लाभ/घाटे और कर्मचारियों की संख्या का ब्यौरा क्या है; और

(ग) उन परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है, जिनमें केन्द्रीय सरकार द्वारा निवेश किए जाने का विचार है और इन परियोजनाओं के कब तक पूरा हो जाने की संभावना है?

उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन): (क) और (ख) 31.3.1995 की स्थिति के अनुसार, जिस अवधि तक की लेखापरीक्षित सूचना उपलब्ध है, केन्द्रीय सरकार क्षेत्र के छह उपक्रम अर्थात् फैरो स्क्रेप निगम लिमिटेड, मध्य प्रदेश अशोक होटल निगम लिमिटेड, नेपा लिमिटेड, एन०टी०सी० (मध्य प्रदेश) लिमिटेड, नार्दर्न कोल फील्ड्स लिमिटेड और साउथ ईस्टर्न कोल फील्डस लिमिटेड का पंजीकृत कार्यालय मध्य प्रदेश राज्य में है। निवेश, बिक्री के संदर्भ में वार्षिक उत्पादन, लाभ/हानि और इन सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में कर्मचारियों की संख्या के संबंध में सूचना संसद के दोनों सदनों में 19.7.1996 को प्रस्तुत लोक उद्यम सर्वेक्षण 1994-95 (अंग्रेजी संस्करण) के खण्ड-1 के विवरण संख्या 16, 7क, 7ख, 12 और 13 में दी गई है।